

( राजस्थान-सरकार )

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)**

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 2/2020

**बउनवान**

गोविन्द पुत्र मोहनलाल जाति गाडरी निवासी रीछडी जागीर तहसील छबडा जिला बारों  
(अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबडा जिला बारों

(रेस्पोंडेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1- श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोंडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 27.01.2020**

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 578/2019 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को वाके ग्राम रीछडी जागीर की सरकारी भूमि किस्म गैर मुमकीन खाल सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 132 की रकबा 0.12 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 30/- रुपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 3.1.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**अपीलांट अभिभाषक** ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दण्डित फरमाने में भयंकर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर बिना पी-14 की नकल शामिल किए व पटवारी हल्का के बयान दिए बिना अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलांट को दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 11.10.2019 को निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म गैर मुमकीन खाल पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। जिसकी तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल नम्बर 52/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.9.2018 से तावान से दण्डित किया जाकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में उपस्थित रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 578/2019 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( मोहम्मद अबूबक्र )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारां

